



अग्रभारत

www.agrabharat.in

नई सोच का अखबार

दैनिक हिन्दी समाचार पत्र



वर्ष: 19 अंक: 116 आगरा, बुधमवार 14 अक्टूबर 2026 पृष्ठ: 8 मूल्य: 2.00 रू.

राहुल गांधी ने गठबंधन के सांसदों और छात्र संगठनों को हाई टी के लिए किया आमंत्रित

इसका उद्देश्य वोट चोरी को लेकर राजनीतिक कदमों की रणनीति तैयार करना

नई दिल्ली,(ए।) लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन के सांसदों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और छात्र संगठनों को चाय-नाश्ते पर आमंत्रित किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावों में वोट चोरी के गंभीर आरोपों पर विपक्ष के अगले राजनीतिक कदमों की रणनीति तैयार करना है। यह हाई-प्रोफाइल बैठक सोमवार को इंडिया गठबंधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च और वोटर लिस्ट के एसआईआर में गड़बड़ियों को चुनौती देते हुए संयुक्त याचिका दायर किए जाने के ठीक बाद हो रही है। इससे पहले मंगलवार दोपहर विपक्षी नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है।

लोकतंत्र के लिए मार्च में कई विपक्षी नेता शामिल हुए, जिनमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस



प्रमुख ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई नेता डी. राजा, सीपीआई(एम) नेता एम ए बेबी और एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने भगवान दास रोड पर पुलिस का एक बैरिकेड तो पार कर लिया, लेकिन दूसरे

बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता अपनी याचिका सौंपने सुप्रीम कोर्ट गए। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को

प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों पर चिंता जताई गई, जिसमें वोटरों के नाम हटाना, चुनाव आयोग का निर्णय लेना और चुनावी रिकॉर्ड तक पहुंच शामिल है। विपक्ष ने वोटरों के नाम हटाने और उनमें बदलाव की स्वतंत्र जांच की मांग

की है, साथ ही हटाए गए वोटरों की जानकारी और उन्हें हटाने के कारणों का विवरण भी मांगा है।

याचिका में इस बात की न्यायिक समीक्षा की भी मांग की गई है कि क्या इस प्रक्रिया में संविधान और लागू कानूनों का पालन किया गया था। ये याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप हैं, न कि अदालत के निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने फाइलिंग में 14 कमियां बताईं, जिनमें जरूरी ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स का न होना और कोर्ट-फीस में कमी शामिल थी। विपक्ष की लीगल टीम ने इन कमियों को ठीक करने के लिए समय मांगा, उम्मीद है कि जरूरी बदलावों के बाद मामले को लिस्ट किया जाएगा।

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा था। सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। राहुल गांधी के आवास पर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में मार्च और कानूनी चुनौती के बाद अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया के तालमेल पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

यूरोपीय संघ को 5841 टन चीनी निर्यात करने की सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली,(ए।) भारत के चीनी कारोबार से जुड़े निर्यातकों के लिए एक अहम खबर है। केंद्र सरकार ने साल 2026-27 के दौरान यूरोपीय संघ को 5,841 मीट्रिक टन चीनी भेजने की अनुमति दी है। इस निर्यात के लिए टैरिफ रेट कोटा व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत तय मात्रा में चीनी के व्यापार पर शुल्क संबंधी विशेष रियायत मिल सकती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से 9 अक्टूबर को जारी जानकारी के मुताबिक यह कोटा अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक लागू रहेगा। इसका मतलब है कि इस अवधि में तय मात्रा के भीतर ही संबंधित व्यवस्था के तहत चीनी का निर्यात किया जा सकेगा। निर्यात करने वाली कंपनियों को तय नियमों और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। टैरिफ रेट कोटा ऐसी व्यापार व्यवस्था है, जिसमें किसी उत्पाद की एक निश्चित मात्रा के लिए अलग शुल्क नियम या रियायत लागू हो सकती है।

भारत से यूरोपीय संघ को चीनी भेजने के मामले में भी इसी व्यवस्था के तहत कोटा तय किया गया है। इस प्रक्रिया में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की भूमिका रहेगी। जरूरत के मुताबिक निर्यात से जुड़े प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की मंजूरी और आवश्यक सिफारिशों का पालन करना होगा। चीनी निर्यात के अलावा सरकार ने कुछ अन्य उत्पादों से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। रूफोसिनेट के आयात पर लागू न्यूनतम आयात मूल्य की व्यवस्था को 12 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम आयात मूल्य वह सीमा होती है, जिसके आधार पर किसी उत्पाद के आयात पर नियम लागू किए जाते हैं।

इसके साथ ही तैयार कल्चर मीडिया के निर्यात से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया। इसके लिए शिपमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किए जा सकेंगे। इनका इस्तेमाल संबंधित देश की जरूरतों के मुताबिक किया जाता है। यूरोपीय संघ को चीनी भेजने के लिए कोटा तय होने से निर्यातकों को व्यापार की तय सीमा और लागू नियमों की जानकारी मिलती है। हालांकि इस फैसले से कुल निर्यात या कमाई में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मांग, कीमतों और वास्तविक निर्यात पर निर्भर करेगा।

चुनाव आयोग ने यूपी में 85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार कर नाम काटने के दावे को भ्रामक बताया

लखनऊ,(ए।) उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार कर बिना किसी कारण मतदाताओं के नाम काटने संबंधी दावे को भ्रामक बताया है। आयोग के अनुसार, संबंधित मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और नोटिस जारी करने, सुनवाई तथा जांच के बाद आदेशों के आधार पर कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी स्पष्टीकरण में कहा कि उत्तर प्रदेश एसआईआर के दौरान 85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार कर बिना कारण मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा सही नहीं है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि छह मार्च के बाद लंबित मामलों का निस्तारण भी नियमानुसार किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे इस विषय में सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने अथवा नाम हटाने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के जवाब में आयोग ने कहा कि संबंधित मामलों में नियमानुसार नोटिस, सुनवाई और जांच के बाद ही निर्णय लिए गए।

एसआईआर के दौरान मतदाता सूची की शुद्धता और नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद गहराया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने 85,854 फॉर्म-7 को स्वतः तैयार कर नाम काटने के दावे को भ्रामक बताते हुए अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है।

अखिलेश ने उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को शून्य कर दिया गया है और अब दोबारा मतदाता बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, प्रचार किया गया और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लगाई गई, लेकिन अब नए सिरे से मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में फजी नामों को रोकना था, इसके बावजूद सूची में लाखों फजी वोट दर्ज हो गए।

भारत के लोकतंत्र में खुलकर बहस करने की आजादी: पीएम मोदी

नई दिल्ली(ए।) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक विविधता का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, लगभग 80,000 पंजीकृत अखबार और प्रकाशन हैं, और 1,000 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। इसके अलावा, भारत में 500 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि भारत में अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है और विभिन्न दृष्टिकोणों पर जनता चर्चा करती है। मंगलवार को आयोजित न्यू इकॉनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और जोर दिया कि शक्ति